अध्याय - II

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित

एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) परिपालक एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना है जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 195 मेगावाट (स्टेज-I, 65 मेगावाट और स्टेज-II एवं III, 130 मेगावाट) होगी। आंकलित लागत ₹ 966.21 करोड़ थी तथा परियोजना को नवम्बर 2015 तक पूरा किया जाना था। नवम्बर 2017 तक केवल स्टेज-I प्रतिष्ठापित (सितम्बर 2016) किया गया है और स्टेज-II एवं III निष्पादनाधीन थे। अब तक ₹ 1,169.75 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं जो कि अनुमानित ~~जो~~ लागत से ₹ 203.54 करोड़ अधिक है। जनवरी 2021 तक प्रतिष्ठापन पूरा किये जाने का पूर्वानुमान लगाया गया था। परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में स्टेज-I की योजना, निर्माण तथा परिचालन क्रियाकलाप तथा स्टेज-II एवं III की योजना और निर्माण क्रियाकलाप आवृत थे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की परिकल्पना और तैयार करने में कमियां तथा संविदाकार को परिहार्य/अतिरिक्त भुगतान और परियोजना के लिए अतिरिक्त लागत की बुकिंग के मामले पाये गये। इसके परिणामस्वरूप स्टेज-I की पूर्णता पर उत्पादन लागत वर्तमान बिक्री दर ₹ 2.20 प्रति यूनिट के प्रति ₹ 2.85 से ₹ 4.78 प्रति यूनिट तक बढ़ गई जिससे परियोजना वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हुई।

मुख्य बातें

भारत सरकार द्वारा एशिया विकास बैंक से प्राप्त ऋण को 90 *प्रतिशत* अनुदान (₹ 498.99 करोड़) एवं 10 *प्रतिशत* ऋण (₹ 55.44 करोड़) के रूप में जारी किया गया जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 100 *प्रतिशत* ऋण में परिवर्तित कर दिया गया जिससे परियोजना लागत पर ₹ 152.83 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 651.82 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(परिच्छेद 2.7.2)

स्टेज-I में 30 महीनों की समय वृद्धि बाधामुक्त कार्यस्थल की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगों द्वारा कार्य बन्द करवाने, परियोजना सड़कों को बन्द करवाने, संविदाकार के दोष के कारण अधिक रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय तथा प्रतिष्ठापन से पूर्व संयंत्र को नुकसान के कारण थी। परियोजना के स्टेज-I को ₹ 311.82 करोड़ की लागत वृद्धि सहित पूर्ण किया गया। फलत: स्टेज-I की पूर्णता तक प्रति यूनिट उत्पादन लागत वर्तमान बिक्री[1] दर ₹ 2.20 प्रति यूनिट के प्रति ₹ 2.85 से ₹ 4.78 प्रति यूनिट तक बढ़ गई।

(परिच्छेद 2.8)

[1] दर जिससे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की ऊर्जा का विक्रय किया गया।

लेखापरीक्षा में निम्नवत् तथ्य भी पाये गये:

- स्टेज-I में संविदाकार को ₹ 27.72 करोड़ की सहायता के अतिरिक्त ₹ 8.30 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, ₹ 1.99 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान, ₹ 6.77 करोड़ की अवसूली/अल्प वसूली विभिन्न संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण की गई।
- विद्युत-यांत्रिकी कार्यों में ₹ 17.61 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान/परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया।
- इसके अतिरिक्त स्टेज-II एवं III में ₹ 9.32 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज हानि, अतिरिक्त/परिहार्य व्यय किया गया।

(परिच्छेद 2.10, 2.17 एवं 2.21)

2.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में काशंग खड्ड (सतलुज नदी की उपनदी) पर नदी विकास को चलाने के लिए एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना (परियोजना) पर विचार किया गया। व्यास तथा सतलुज नदी घाटियों में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु जल विद्युत विकास निगम नाम के रूप में एक विशेष साधन का सृजन किया गया (मार्च 2003) जिसका बाद में अगस्त 2007 में हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) के साथ विलय कर दिया गया। परियोजना सतलुज नदी घाटी में निष्पादित किये जाने वाली दो[2] परियोजनाओं का एक भाग थी। 195 मेगावाट (स्टेज-I, 65 मेगावाट एवं स्टेज-II एवं III, 130 मेगावाट) की प्रतिष्ठापन क्षमता वाली परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दो भागों अर्थात् स्टेज-I (जुलाई 2008) ₹ 478.02 करोड़ तथा स्टेज-II एवं III (सितम्बर 2009) ₹ 488.19 करोड़ हेतु प्रदान की गई। वित्तीय प्रबंधन स्पष्टतया ऋण इक्विटी अनुपात सहित 70:30 (ऋण ₹ 676.35 करोड़ एवं इक्विटी ₹ 289.86 करोड़) के थे। परियोजना के लिए पहले दो वर्षों के दौरान एक इकाई 238.62 मिलियन यूनिटों तथा तत्पश्चात 713 मिलियन यूनिटों का उत्पादन करने के लिए बनाई गई थी। परियोजना की दोनों स्टेजों का निर्माण कार्य जनवरी 2014 एवं नवम्बर 2015[3] के मध्य पूर्ण किये जाने के लिए अनुसूचित किया गया था। निर्माण कार्य अप्रैल 2009 के दौरान प्रारम्भ किया गया तथा 48 महीनों के अंदर पूरा करना निश्चित किया गया था परंतु परियोजना की पहली इकाई ही केवल सितम्बर 2016 तक स्थापित की जा सकी।

2.2 संगठनात्मक ढ़ांचा

कम्पनी राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थी। एक निदेशक मण्डल कम्पनी का प्रबन्धन करती है। प्रबन्धन निदेशक, निदेशक मण्डल का अध्यक्ष होता है तथा कम्पनी के व्यापार के पर्यवेक्षण के लिए चार अन्य निदेशक होते हैं। परियोजना के सिविल एवं विद्युत-यांत्रिकी कार्यों का निष्पादन एक महाप्रबंधक के समग्र नियंत्रणाधीन है जिनकों तीन सहायक महाप्रबंधकों, सिविल, यांत्रिकी एवं विद्युत द्वारा सहयोग दिया जाता है।

---

2 (i) कशांग जल विद्युत परियोजना व (ii) शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना।

3 विद्युत-यांत्रिक कार्यों सहित।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित करना था कि:

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निष्पादित की जाने वाली सभी मदों की समुचित मात्रा सम्मिलित करके तैयार किया गया था;
- परियोजना के निष्पादन के दौरान संविदा के नियम एवं शर्तों को सख्ती से लागू किया गया था;
- परियोजना का निष्पादन मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावकारी तरीके से किया गया था;
- परियोजना के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए पाई गई त्रुटियों के निवारण हेतु शोधन उपाय एवं तत्काल प्रत्युत्तर के लिए अनुश्रवण व्यवस्था मौजूद थी; तथा
- परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य थी अर्थात् बाजार मूल्य जिस पर विद्युत बेची जाएगी उत्पादन लागत को पूरा करेगी।

2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा स्टेज-I की योजना, कार्य प्रदान किये जाने एवं निष्पादन तथा परिचालन क्रियाकलापों तथा परियोजना की स्टेज-II एवं III की योजना एवं कार्य प्रदान किये जाने तथा निष्पादन क्रियाकलापों की प्रारम्भ से 2016-17 तक को सम्मिलित करने के लिये की गई। लेखापरीक्षा जांच में परियोजना के अभिकल्प एवं निर्माण कार्य के सम्बंध में निगमित निगम के मुख्यालय तथा रिकांगपीओ में स्थित परियोजना व कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी।

हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कम्पनी को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को बताने के लिए अप्रैल 2017 में निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए आरम्भिक सम्मेलन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कम्पनी/प्रबंधन को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की सूचना दी गई (जुलाई 2017), तथापि उनका उत्तर अपेक्षित है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एम0पी0पी0 व पावर)/कम्पनी के प्रबंधन के साथ आयोजित समापन सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की विवेचना की गई (अगस्त 2017)। प्रबंधन के उत्तर जहां प्राप्त हुए है उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल कर दिया गया है।

2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करने के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित से निकाले गये:

- परियोजना की योजना के सम्बंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानदण्ड/दिशानिर्देश;
- केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देशन;
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, परियोजना तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अन्वेषण के लिए भू-विज्ञानी के प्रतिवेदन;
- मितव्यय, दक्षता एवं प्रभावकारिता के संदर्भ में संविदाएं प्रदान करने हेतु मानक प्रक्रियाओं तथा एशियन विकास बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश; तथा
- परियोजना के निष्पादन हेतु संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई निर्माण अनुसूची एवं कार्यपद्धति।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

परियोजना के निष्पादन को दो भागों में बांटा गया अर्थात् स्टेज-I तथा स्टेज-II एवं III इसी प्रकार लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी स्थूल रूप से दो भागों अर्थात् स्टेज-I तथा स्टेज-II एवं III में विभाजित किया गया है।

2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.7.1 निधियन

परियोजना के लिए विद्युत वित्त निगम द्वारा 11 *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज दर पर ₹ 200 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था (फरवरी 2003)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा ₹ 200 करोड़ के स्वीकृत ऋण के प्रति केवल ₹ 30.00 करोड़ कम्पनी को परियोजना का निर्माण कार्य सपुर्द किये जाने से पूर्व निष्पादित किये गये आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए प्राप्त किये गये। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास कार्यक्रम (नवम्बर 2008) के अन्तर्गत परियोजना के निष्पादन हेतु ₹ 708.16 करोड़ का ऋण (सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी कार्यों का संविदा मूल्य) एशियन विकास बैंक से लिया गया। शुल्क निर्धारण हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 70:30 के मानदण्ड के प्रति ऋण इक्विटी अनुपात 51:49[4] पर ₹ 1,169.75 करोड़ का व्यय कम्पनी द्वारा परियोजना पर मार्च 2017 तक किया गया।

2.7.2 अनुदान पर ब्याज प्रभारित करना

लंदन इंटर बैंक द्वारा प्रस्तावित दर से 0.20 *प्रतिशत* अधिक ब्याज दर पर एशियन विकास बैंक से संस्वीकृत ₹ 708.16 करोड़ ऋण के प्रति भारत सरकार ने मार्च 2017 तक राज्य सरकार के जरिये 90 *प्रतिशत* अनुदान तथा 10 *प्रतिशत* ऋण के रूप में ₹ 554.44 करोड़ की निधियों का अंतरण किया। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुदान का अपवर्तन किया तथा अनुदान की राशि को कम्पनी के लिए 10 *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज दर पर ऋण के रूप में मान लिया। ₹ 498.99 करोड़ के अनुदान को ऋण में रूपांतरित करने के परिणामस्वरूप परियोजना लागत पर अगस्त 2016 तक ₹ 152.83 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 651.82 करोड़ का सकल अतिरिक्त बोझ पड़ा जिससे भारत सरकार द्वारा वहनीय दरों पर स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए जारी की गई अनुदान का यथार्थ प्रयोजन विफल रहा तथा उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।

2.8 समय एवं लागत वृद्धि

195 मेगावाट की प्रतिस्थापित क्षमता युक्त परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दो भागों में अर्थात् स्टेज-I (जुलाई 2008) ₹ 478.02 करोड़ हेतु तथा स्टेज-II एवं III (सितम्बर 2009)

[4] ऋण ₹ 596.91 करोड़ व इक्विटी ₹ 572.84 करोड़।

₹ 488.19 करोड़ के लिए प्रदान की गई । इसमें समय एवं लागत की वृद्धि थी जैसाकि नीचे तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1: 31 मार्च 2017 को समय एवं लागत की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

कार्य/पैकेज का नाम	आकलित लागत	अवार्ड के अनुसार पूर्णता की देय तिथि	वर्तमान स्थिति	वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि	समय वृद्धि (महीनों में)
स्टेज-I से सम्बंधित	478.02	फरवरी 2014	सितम्बर 2016 में पुरा हुआ	789.84	311.82	30
स्टेज-II एवं III से सम्बंधित	488.19	नवम्बर 2014*	कार्य प्रगति पर	379.91	---	28

* केवल सिविल निर्माण कार्य

जैसा उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है कि स्टेज-I को ₹ 311.82 करोड़ की लागत वृद्धि सहित ₹ 789.84 करोड़ में पूरा किया गया। 30 महीनों की समय वृद्धि, बाधा रहित कार्य स्थल की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण कार्य रोकना, परियोजना मार्गों को रोकना, संविदाकार की त्रुटियों के कारण अधिक रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय तथा प्रतिस्थापित करने से पूर्व संयंत्र को नुकसान के कारण था। समय वृद्धि और परियोजना के प्रबंधन में कमी के कारण मुख्यत: उच्च दरों पर निर्माण कार्य हेतु भुगतान करने के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय, संविदाकार से अवसूली/अल्प वसूली तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रमात्रा के अल्प प्रावधान होने के फलस्वरूप लागत वृद्धि हुई।

परियोजना लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप स्टेज-I की पूर्णता तक प्रति यूनिट उत्पादन लागत वर्तमान ₹ 2.20 प्रति यूनिट बिक्री दर[5] की तुलना में ₹ 2.85 से ₹ 4.78 प्रति यूनिट तक बढ़ गई। जिससे स्टेज–II एवं III की पूर्णता पर उत्पादन लागत और ज्यादा बढ़ जाएगी जो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना की व्यवहार्यता को प्रभावित करेगी।

समय एवं लागत वृद्धि को लेखापरीक्षा में मुख्यतया निम्नवत् के कारण विश्लेषित किया गया:

(क) नियंत्रणीय: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान पर ब्याज प्रभारित करना, संविदाकारों को कार्य स्थलों को सपुर्द करने में विलम्ब, संविदाकार के दोष के कारण अधिक रिक्त को भरने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय, तीन महीनों तक निकासी व्यवस्था की अनुपलब्धता, प्रतिष्ठापन से पहले संयंत्र को क्षति, प्रमात्रा के बिल का गलत आकलन, स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यकलापों पर मानकों से अधिक खर्चों एवं व्यय का गलत आवंटन।

(ख) अनियंत्रणीय: स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण कार्य का अवरोधन तथा सड़कों का अवरोधन एवं हिमस्खलन । इन कारकों के प्रभाव को निम्नवत् विवेचित किया गया है:

परियोजना की पूर्णता में दो वर्षों (फरवरी 2014 से अगस्त 2016) से अधिक के विलम्ब के फलस्वरूप न केवल लागत में वृद्धि हुई बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार को मुफ्त विद्युत शेयर ₹ 21.08 करोड़ (12 *प्रतिशत* की दर से) के स्थगन सहित ₹ 175.68 करोड़[6] मूल्य के संभाव्य 616.435 मेगा यूनिटों

[5] दर जिस पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ऊर्जा बेची जा रही है।

[6] 616.435 मैगा यूनिट x ₹ 2.85 प्रति यूनिट (डी0पी0आर0 दर) = ₹ 175.68 करोड़।

की सम्भावित हानि भी हुई। इसके अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र निवासियों को एक *प्रतिशत* अतिरिक्त मुफ्त विद्युत उपलब्ध करवाने के सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में विलम्ब हुआ।

2.9 स्टेज-I योजना

2.9.1 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं लागत आकलनों का निरूपण

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्माण हेतु परियोजना को प्राधिकृत करने के लिए मूल आधार प्रावधान है। परियोजना की पूंजीगत लागत में अंवेषण, अभिकल्प, निर्माण तथा निर्माण अवधि के दौरान अनुरक्षण से सम्बंधित सभी लागत सम्मिलित है। कार्य के कार्य क्षेत्र में बिना किसी परिवर्तन के लागत में विचलन एवं प्रमात्रा के बिल में मुख्य मदों का प्रावधान न होने को योजना एवं आकलन में कमियां कहा जा सकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति से बचने के लिए कुछ सम्भाव्य आवश्यक मदों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में अपर्याप्त/प्रावधान न करके परियोजना की लागत को ₹ 500 करोड़ से कम रखा गया। स्टेज-I के प्रमात्रा के बिल में मदों का अपर्याप्त/प्रावधान न होने के कारण ₹ 250.45 करोड़ (बढ़ी लागत के अतिरिक्त) के सकल संविदा भुगतान के प्रति चालू बाजार/प्रदत्त दरों पर ₹ 65.46 करोड़ के भुगतान अतिरिक्त, विचलित एवं समरूप से भुगतान की गई मदों पर किया गया जो संविदा भुगतानों का 26.13 *प्रतिशत* बनता है। इस प्रकार इस सीमा तक आकलनों को तैयार करने का मुख्य प्रयोजन विफल रहा।

2.9.2 भूमि खरीद पर निष्फल व्यय

कम्पनी ने भवनों के निर्माण तथा भूमि की खरीद पर ₹ 18.09 करोड़ का परिहार्य व्यय/अतिरिक्त व्यय किया जिसकी चर्चा निम्नवत् की गई है:

(i) कम्पनी ने आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए पांगी में सितम्बर 2006 एवं जनवरी 2008 के मध्य ₹ 4.30 करोड़ की लागत पर 2.00.70 हैक्टेयर निजि भूमि का अधिग्रहण किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 2.80 करोड़ की लागत पर निर्मित भवनों के निर्माण से पहले कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया जो जून 2013 में आये भू-स्खलन के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। बाद में कम्पनी के भू-विज्ञानी से नवम्बर 2013 में सर्वेक्षण कराया गया जो दर्शाता है कि क्षेत्र अत्यधिक बोझ की मोटी परत/ग्लेशियर की नदी के बहाव के जमाव से ढका हुआ था तथा भवन निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं था। यदि भवनों के निर्माण से पहले कार्यस्थल का सर्वेक्षण किया होता तो ₹ 2.80 करोड़ के निष्फल व्यय से बचा जा सकता था।

महाप्रबंधक (परियोजना) ने बताया कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कार्यस्थल के भ्रमण (अगस्त 2016) के दौरान इंगित किया था कि असंगठित ठोस पदार्थ चट्टान पर ढांचा बनाने तथा उपयुक्त जल-निकास व्यवस्था की कमी के कारण समस्या पेश आई। इससे स्पष्ट होता है कि कॉलोनी का निर्माण उपयुक्त भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के पश्चात् नहीं किया गया।

(ii) 18.71.42 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु किये गये ₹ 1.42 करोड़ के भुगतान के प्रति कम्पनी ने केवल 13.07.21 हैक्टेयर भूमि को वास्तव में प्राप्त किया। शेष 5.64.21 हैक्टेयर भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका क्योंकि उसे अतिक्रमण के अन्तर्गत

बताया गया। इसके अतिरिक्त 3.25.28 हैक्टेयर तथा 3.734 हैक्टेयर भूमि क्रमश: परियोजना के ग्रहण (मुख) एवं अकपा गांव में खदान के लिये अपवर्तित कर दी गई इस बात को संज्ञान में लिए बिना कि निर्माण के दौरान खनन में निकाले गये पत्थरों का उपयोग निर्माण के दौरान बजरी एवं रेत बनाने की प्रक्रिया में किया जा सकता है। सिविल कार्यों के लिए निविदायें इस शर्त पर आमंत्रित की गई थी कि संविदाकार निकाले गये पत्थर का उपयोग करेगा। निर्माण के दौरान संविदाकार ने निकाली गई सामग्री का उपयोग बजरी एवं रेत के लिए किया। फलत: खदान स्थल के लिए अधिग्रहण की गई भूमि अप्रयुक्त रही (जून 2017)। ये कार्यस्थल भविष्य मे भी अप्रयुक्त रहेंगे क्योंकि स्टेज-I का निष्पादन पूर्ण हो चुका है तथा स्टेज-II एवं III के लिए निष्पादन कार्य हेतु खुदाई के दौरान प्राप्त पत्थर संविदाकार को मुफ्त में उपलब्ध करवाया गया है।

इस प्रकार उक्त भूमि के लिए निवल वर्तमान मूल्य तथा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु किया गया ₹ 0.96 करोड़ का भुगतान निष्फल हुआ।

(iii) इसी प्रकार दाखो गांव में सामान्य नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए ₹ 10.03 करोड़ की लागत पर जनवरी 2010 एवं अक्तूबर 2010 के मध्य अधिगृहीत की गई 3.49.85 हैक्टेयर माप की निजि भूमि को उपयोग में नहीं लाया जा सका। भूमि को अधिसूचना 125 एस0आर0ओ0 दिनांक 22 नवम्बर 2005 की उपेक्षा करके 1200 गज की दूरी के अंदर खरीदा गया जिसमें प्रावधान था कि किन्नौर जिले में सुरक्षाबलों के गोला-बारूद स्थल की परिधि से इस दूरी के भीतर पड़ी भूमि को भवनों से मुक्त रखा जाए। इससे कम्पनी पर ₹ 7.02 करोड़[7] का ब्याज का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा।

2.10 सिविल निर्माण कार्यों को प्रदान करना एवं निष्पादन करना (स्टेज-I)

परियोजना के निष्पादन को सरल बनाने की दृष्टि से प्राथमिक निर्माण कार्यों की पूर्णता के पश्चात, निर्माण कार्यों को स्थूल रूप से तीन पैकेजों में विभाजित किया गया तथा विभिन्न संविदाकारों को प्रदान किया गया। स्टेज-I हेतु सिविल एवं हाइड्रो-यांत्रिकी कार्यों को फरवरी 2009 के दौरान ₹ 296.91 करोड़ में, स्टेज-II एवं III हेतु सिविल तथा यांत्रिकी कार्यों को अक्तूबर 2010 के दौरान ₹ 252.39 करोड़ में तथा विद्युत यांत्रिकी की आपूर्ति एवं स्थापना कार्यों के लिए मार्च 2010 में ₹ 120.79 करोड़ में, ई0यू0आर0ओ0 0.38 करोड़ में तथा स्विस फ्रेंकस (सी0एच0एफ0) ₹ 0.27 करोड़ में प्रदान किया गया।

निविदा प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् सिविल कार्यों को ₹ 296.91 करोड़ की लागत पर मैसर्ज हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (संविदाकार) को प्रदान किया गया (फरवरी 2009)। कार्य को जनवरी 2013 तक पूरा किया जाना था तथापि संविदाकार ने कार्य को 38 महीनों के विलम्ब के पश्चात मार्च 2016 में पूरा किया जो भरपूर रूप से संविदाकार को आरोप्य थी। कार्य के निष्पादन से सम्बद्ध संविदा अनुबंध एवं अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में संविदाकार को संविदात्मक विभिन्न प्रावधानों आदि का पालन न करने के कारण ₹ 27.72 करोड़ की सहायता के अलावा ₹ 8.30 करोड़ का अतिरिक्त

[7] ऋण पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रभारित किये जा रहे 10 *प्रतिशत* वार्षिक दर से गणना की गई।

व्यय, ₹ 1.99 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान, ₹ 6.77 करोड़ की अवसूली/अल्पवसूली के मामले प्रकट हुए जिनकी चर्चा निम्नवत् हैं:-

2.10.1 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

(i) केन्द्रीय जल आयोग ने नदी घाटी परियोजनाओं (अध्याय 14.11) हेतु अपने दिशा-निर्देशों में बंधन क्लाज तथा भुगतानों पर नियंत्रण रखने के लिए भुगतानों हेतु ऊपरी सीमा बनाए रखने के लिए जहां मात्रा का निर्धारण पहले नहीं किया जा सका था के सन्निवेश करने का प्रावधान किया है। तथापि, संविदा अनुबंध के अध्याय-1 (मूल्य-सूची) में प्रावधान है कि 125 *प्रतिशत* से अधिक निष्पादित की गई मात्रा का विश्लेषण चालू बाजार दरों पर किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2017) कि ग्राउटिंग, शाटक्रीट बोल्ट आदि को बंधन क्लाज के क्षेत्र से बाहर रखा गया था तथा 125 *प्रतिशत* से अधिक होने पर भी संविदात्मक दरों पर भुगतान किया जा रहा था। कार्य के निष्पादन के दौरान हैड रेस टनल में दबाव शाफ्ट एवं ग्राउटिंग में प्रयुक्त रॉक बोल्ट की मात्राओं प्रदत्त मदों की तुलना में क्रमश: 612.98 तथा 151.97 *प्रतिशत* तक बढ़ गई थी। इन बढ़ी हुई मात्राओं के निष्पादन हेतु संविदाकार को लागत आकलन में विश्लेषित दरों ₹ 2,237 प्रति रनिंग मीटर तथा ₹ 638 प्रति सीमेंट बैग के प्रति क्रमश: संविदात्मक दरों ₹ 3,554.88 प्रति रनिंग मीटर तथा ₹ 1,149.96 प्रति सीमेंट बैग की दरों पर भुगतान किया गया। यदि इन मदों को 125 *प्रतिशत* के उपरोक्त दायरे में रखा गया होता तो 125 *प्रतिशत* से अधिक निष्पादित की गई मात्राओं पर किये गये ₹ 2.94 करोड़ के भुगतान से बचा जा सकता था।

(ii) संविदा अनुबंध की धारा 4.44 (खण्ड IV) में निर्धारित किया गया है कि कंकरीट का माप एवं भुगतान कंकरीट के विशेष मिश्र-डिजाइन की वास्तविक आयतन के आधार पर किया जाएगा। भूमिगत खुदाई में भू-वैज्ञानिक स्वीकार्य परित्याग की भुगतान-रेखा से अधिक कंकरीट की पृष्ठपूर्ति हेतु भुगतान एम-10 के मिश्रित डिजाइन हेतु निर्धारित दरों पर किया जाएगा।

प्रभारी अभियंता ने संविदाकार के अनुरोध पर अभिकल्प शाखा से बैक-फिल के लिए एम-10 लाइनिंग ग्रेड कंकरीट के बजाए एम-25 का प्रयोग करने की इजाजत देने का आग्रह किया (अगस्त 2012) क्योंकि एम-10 का प्रयोग किया जाना बहुत कठिन एवं समय लेने वाला था, तद्नुसार कम्पनी की डिजाइन शाखा ने बैक-फिल के लिए जहां रिब स्पोर्टस की आवश्यकता नहीं थी कंकरीट के लाइनिंग ग्रेड (एम-25) को अनुमोदित किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि हैड रेस टनल तथा संतुलन जलाशय में क्रमश: 4,367.484 घन मीटर एवं 4,488.113 घन मीटर का बैक-फिल एम-25 लाइनिंग कंकरीट के साथ किया गया जिसके लिए दरें एम-10 की तुलना में उच्चतर थी तथा तदानुसार भुगतान किया गया। कंकरीट के अनुमोदित डिजाइन एवं विधि में विचलन के परिणामस्वरूप ₹ 4.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.10.2 उच्चतर दरों पर कार्यों के लिए भुगतान

सिविल कार्यों के निष्पादन के दौरान कम्पनी ने इनपुट मदों के दरों से उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क तत्वों को सम्मिलित न करने, एंट्री टैक्स (जो अलग से भुगतान किया जा रहा है) को सम्मिलित न करने

के कारण गलत विश्लेषण, विचलित/फालतू/अतिरिक्त मदों के लिए उच्चतर भुगतान के कारण ₹ 1.99 करोड़ का अतिरिक्त/फालतू भुगतान किया जैसाकि ***परिशिष्ट-2.1*** में विवरणित है।

2.10.3 कार्य में प्रयुक्त पत्थर की अवसूली/अल्पवसूली

संविदा अनुबंध के खण्ड-6 की धारा-5 में अनुबंध है कि संविदाकार भूमिगत खुदाई से प्राप्त पत्थर को लागत का भुगतान करने के पश्चात् बजरी की पिसाई के लिए प्रयोग कर सकता है। लेखापरीक्षा में पाया कि कम्पनी ने संविदाकार द्वारा उपयोग में लाये गये पत्थर की वसूली की गणना करते समय कंकरीट, शाटकरीट एवं ग्राउटिंग की मात्रा का निष्पादन करने के लिए अपेक्षित एग्रीगेट तथा रेत की पिसाई के लिए प्रयुक्त पत्थर की समस्त मात्रा को ध्यान में नहीं रखा तथा संविदाकार द्वारा प्रयोग किये गये समस्त पत्थर की मात्रा को शामिल नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.77 करोड़ की अल्पवसूली हुई जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

(i) संविदाकार ने कंकरीट, ग्राउटिंग एवं शाटक्रीट कार्यों के लिए 1,21,268.41 घन मीटर एग्रीगेट पत्थर व रेत का प्रयोग किया जिसमें से 9,974 घन मीटर खुले बाजार से खरीदा गया था। स्पष्टतया 1,11,294.41 घन मीटर रेत व एग्रीगेट खुदाई से प्राप्त पत्थर से पीसा गया। संविदाकार द्वारा प्रयोग में लाई गई मात्रा के लिए 38 *प्रतिशत* अपव्यय को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित पत्थर की सकल मात्रा 1,79,507.11 घन मीटर आंकी गई जिसके प्रति केवल 70,957.646 घन मीटर की वसूली की गई फलत: ₹ 3.26 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

(ii) इसके अतिरिक्त संविदाकार ने 26,186.10 घन मीटर की ओवर-ब्रेक (58,285.190 घन मीटर पत्थर से पीसे गये रेत एवं एग्रीगेट सहित) को अपनी लागत पर बैक-फिल किया तथा कार्य सुविधा के लिए बैंच (6,118.130 घन मीटर पत्थर) के अतिरिक्त क्षेपण स्थल पर 52,637.865 घन मीटर पत्थरों से 13,476.156 घन मीटर तार क्रेटों का निर्माण किया। उपरोक्त कार्यों के निष्पादन के लिए अपेक्षित पत्थर की मात्रा अपशिष्ट को छोड़कर भी 1,17,041.185 घन मीटर निकाली गई। ₹ 3.51 करोड़ मूल्य के पत्थरों की लागत वसूली नहीं गई थी।

2.11 संविदाकार को अनुचित सहायता का विस्तार

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदाकार को कार्य निष्पादन के दौरान ₹ 27.72 करोड़ की सीमा तक अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया जैसाकि निम्नवत् परिच्छेदों में विवेचना की गई है:

2.11.1 बीमा प्रभारों की वसूली न करना

संविदा की सामान्य शर्तों की शर्त 18.2 में अनुबंध किया गया है कि संविदाकार कार्यों, संयंत्र एवं सामग्री को हानि अथवा क्षति के प्रति बीमा कराएगा क्योंकि प्रदान की गई दरों में बीमा प्रभार शामिल थे तथा आगामी त्रुटि दायित्व अवधि की समाप्ति तक बीमा आवृति बनाई रखी जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी द्वारा कुछ छोड़े हुए कार्यों सहित 31 मार्च 2016 को सिविल कार्यों को करने की जिम्मेदारी ली गई। निष्पादन जिम्मेवारी एवं त्रुटि दायित्व अवधि को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया गया, तथापि संविदाकार ने अप्रैल 2016 से आगे बीमा आवृति प्रदान नहीं की जिसके लिए ₹ 2.54 करोड़ की सीमा तक बीमा प्रभारों की लागत जो प्रदान की गई दरों में सम्मिलित थी वसूली नहीं गई थी (अक्तूबर

2017 तक)। कम्पनी को संविदा के अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार संविदाकार से बीमा लागत की वसूली करने पर विचार करना चाहिए। परियोजना अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2017 तक बीमा कवर रहित रही।

2.11.2 परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र रद्द न करना

कम्पनी ने संविदाकार को 2,969.426 मीट्रिक टन स्टील प्लेटों के लिए सीमा शुल्क एवं उस पर आबकारी शुल्क से छूट पाने के लिए परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र की 2,969.426 मीट्रिक टन मात्रा के प्रति परियोजना स्थल पर वास्तव में केवल 2,762.699 मीट्रिक टन प्लेटों का उपयोग किया गया। संविदाकार ने 206.727 मीट्रिक टन अप्रयुक्त मात्रा पर ₹ 0.47 करोड़ की सीमा तक सीमा शुल्क एवं आबकारी शुल्क छूट का लाभ उठाया। यद्यपि कम्पनी ने मार्च 2016 में परियोजना कार्यों का जिम्मा लिया परन्तु अप्रयुक्त स्टील प्लेटों की मात्रा हेतु परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है (जून 2017)।

2.11.3 संविदात्मक प्रावधानों का पालन न करना

संविदाकार के साथ किये गये संविदा अनुबंध में शर्त है कि संविदाकार अपनी लागत पर अपेक्षित विद्युत के लिए डीजल जनरेटिंग सैटों का प्रबंध करेगा। लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2017) कि संविदाकार ने समस्त निर्माण कार्य कम्पनी की विद्युत व्यवस्था के माध्यम से कम्पनी के विद्युत कनेक्शन का प्रयोग करके पूर्ण किया। कम्पनी के विद्युत कनेक्शन एवं आपूर्ति व्यवस्था का प्रयोग करने से संविदाकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को ₹ 0.87 करोड़ के अवसंरचना विकास प्रभारों को बचाया तथा इन्हें कम्पनी को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का मूल उपभोक्ता होने के नाते विद्युत कनेक्शन के लिए वहन करना पड़ा।

2.11.4 समय का अनुचित विस्तार

कम्पनी द्वारा परियोजना का सिविल घटक कुछ परित्यक्त कार्यों सहित 31 मार्च 2016 को नियंत्रण में लिया गया। संविदाकार को आरोप्य 28 दिनों के विलम्ब सहित 31 मार्च 2016 तक अंतिम विस्तार के मामले की महाप्रबंधक, परियोजना द्वारा सिफारिश की गई थी (अक्तूबर 2016)। दबाव शाफ्ट घटक में कार्य की पूर्णता में अधिकतम विलम्ब था जहां अतिरिक्त 5,211.03 घनमीटर कंकरीट कार्य निष्पादित किया गया था, अन्य कारणों के अलावा विलम्ब के लिए 8.81 महीनों की समय अवधि पर विचार किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परिसमापन क्षतियों के उद्ग्रहण हेतु संविदाकार की ओर से वास्तविक विलम्ब की गणना करने के लिए महाप्रबंधक, परियोजना ने समय वृद्धि की सिफारिश करते समय संविदाकार की त्रुटि के कारण निष्पादित किये जाने वाले अपेक्षित अतिरिक्त/अधिक कार्यों को पूरा करने में बिताये गये समय की गणना नहीं की थी जैसाकि नीचे विवरणित है:

क) संविदाकार की त्रुटि के कारण 11,765.763 घन मीटर की ओवर ब्रेक को बैक-फिल करने के लिए अपेक्षित 19.89 महीने की समय अवधि।

ख) डीजल की कमी के कारण रात्रि पाली (शिफ्ट) के दौरान कार्य का निष्पादन न करना।

ग) गैस रोधित स्विच गीयर के फर्श तल में झुकाव के कारण संयंत्र की प्रतिष्ठापन में विलम्ब।

घ) संविदाकार की त्रुटि पर अन्य घटक में 14,420.337 घन मीटर की ओवर-ब्रेक तथा न्यून क्षमता पेनस्टाक का डिजाइन।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता था कि संविदाकार को आरोप्य इन मामलों पर बिताये गये समय को ध्यान में न रखने से संविदाकार को 28 दिनों तक विलम्ब सीमित रखने/परिसमापन क्षतियां प्रभार 10 *प्रतिशत* के बजाए दो *प्रतिशत* रखने से संविदाकार की मदद की गई। इससे संविदाकार को ₹ 23.75[8] करोड़ की मदद पहुंचाई गई।

2.12 भू-तकनीकी उपकरणों पर निष्फल/अतिरिक्त व्यय

(i) 30 महीने (अगस्त 2013) की निर्धारित पूर्णता अवधि सहित ₹ 2.94 करोड़ हेतु मैसर्ज प्रोग्रेसिव मशीन टूल्ज (जी0टी0आई0 संविदाकार) को विभिन्न परियोजना स्थलों पर आपूर्ति एवं भू-तकनीकी उपकरणों की स्थापना करने के लिए पूरा पैकेज प्रदान किया गया (जनवरी 2011)। इन उपकरणों का परिचालन एवं अनुरक्षण निर्माण फेज के दौरान तथा निर्माण के बाद अतिरिक्त छः महीने तक संविदाकार द्वारा किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि कम्पनी ने उपकरणों पर ₹ 1.17 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया संविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर सिविल कार्यों को पूरा न करने, मैसर्ज प्रोग्रेसिव मशीन टूल्ज के लिए निष्पादन अवधि को जनवरी 2017 तक बढ़ाना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप अनुरक्षण, अनुश्रवण एवं विश्लेषण कार्य पर ₹ 1.17 करोड़ अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(ii) सभी उत्पादन इकाईयों के परिचालन से पहले ही 67 भू-तकनीकी उपकरणों, परियोजना के निर्माण के दौरान तथा निर्माण के छः महीने पश्चात् डाटा को रिकार्ड तथा विश्लेषण करने के लिए, अप्रैल 2011 से अगस्त 2015 के मध्य स्थापित, के काम न करने से उपकरणों की स्थापना हेतु किया गया ₹ 0.71 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, इन उपकरणों के जल प्रवाह के दौरान वाटर कंडक्टर सिस्टम की कार्यप्रणाली की निगरानी हेतु प्रतिष्ठापन का उद्देश्य विफल रहा था।

(iii) सिविल कार्यों की संविदा की सामान्य शर्तों की संविदा की धारा 17.1 (ख) में प्रावधान है कि संविदाकार किसी भी सम्पत्ति के लिए समस्त क्षति जो संविदाकार द्वारा कार्यों के निष्पादन के दौरान हुई हो के प्रति मालिक को सुरक्षित रखेगा। यह पाया गया कि अप्रैल 2011 एवं फरवरी 2014 के मध्य पावर हाऊस कम्पलेक्स में सिविल संविदाकार द्वारा ₹ 0.09 करोड़ मूल्य के 14 उपकरण क्षतिग्रस्त किये गये परंतु कम्पनी द्वारा उनकी लागत की वसूली नहीं की गई।

2.13 न्यून क्षमता पेनस्टॉक के अभिकल्पन के कारण अतिरिक्त व्यय

विद्युत-यांत्रिकी उपकरण के लिए मशीनों को बंद किये जाने के समय पानी का पीछे की ओर दबाव बढ़ने की सीमा 25 *प्रतिशत* थी जैसाकि विद्युत यांत्रिकी शाखा द्वारा सिविल/यांत्रिकी शाखा को सूचित (जून 2009) किया गया था। इस अवस्थिति को अनदेखा करके पेनस्टॉक के लिए नक्शा संरचना को 10.6 *प्रतिशत* के दबाव सीमा के साथ अनुमोदित किया गया (जुलाई 2010)। पेनस्टॉक की संरचना पूर्ण होने के पश्चात यह विसंगति पाई गई तथा इसे ₹ 0.20 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करके थ्रस्ट कालर उपलब्ध करवा कर, प्लेटों की अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करके, पहले निर्मित फेरूल एवं कंकरीट को तोड़ कर परिशोधित करना पड़ा।

---

[8] ₹ 296.90 करोड़ के संविदा मूल्य का 8 *प्रतिशत* (10 *प्रतिशत* - दो *प्रतिशत* पूर्व प्रभारित)।

2.14 मात्रा में विचलन के कारण अतिरिक्त भुगतान

मुख्य प्रवाह सुरंग (हेड रेस टनल) में 8,295.999 घन मीटर सकल अनुमोदित ओवर ब्रेक मात्रा में से 355.832 घन मीटर को बैक-फिल के बिना छोड़ दिया गया था तथा 622.248 घन मीटर को शाटक्रीट के साथ आवृत किया गया जिसका अलग से भुगतान किया गया। इस प्रकार, बैक-फिल का निवल क्षेत्र ओवर ब्रेक में 7,317.919 घन मीटर था जिसके प्रति कम्पनी ने 8,765.559 घन मीटर कंकरीट के लिए भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.69 करोड़[9] का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसी प्रकार, संतुलन जलाशय के मामले में अनुमोदित ओवर ब्रेक की 4,918.169 घन मीटर मात्रा के प्रति 5,013.047 घन मीटर कंकरीट एवं 778.36 घन मीटर शाटक्रीट के लिए भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 872.238 घन मीटर के लिए ₹ 0.36 करोड़[10] मूल्य का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

2.15 परियोजना लागत में वृद्धि में सहायक अन्य कारक

2.15.1 स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यकलापों पर अधिक व्यय

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई जल विद्युत नीति, 2006 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने परियोजना लागत का 1.5 *प्रतिशत* की दर पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए भुगतान करना था। तद्नुसार कम्पनी ने स्टेज-I के प्रति स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए ₹ 7.06 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत ₹ 3.51 करोड़ का व्यय भी किया जो स्थानीय पंचायतों से बिना किसी मांग के किया गया जो स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत व्यय की स्वीकार्यता से पहले आवश्यक थी। कम्पनी ने निदेशक ऊर्जा को व्यय के समायोजन हेतु स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति आग्रह किया (मार्च 2012) परंतु वह स्थानीय लोगों से मांग के बिना किये गये व्यय के कारण असमायोजित रहा।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया (जून 2017) कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत निष्पादित किये गये ₹ 3.51 करोड़ के कार्यों को सम्मिलित करने के लिए मामला उपयुक्त प्राधिकारी के साथ उठाया गया है।

2.15.2 कार्मिक नीति से विचलन के कारण अतिरिक्त व्यय

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई (जुलाई 2007) अधिसूचना के अनुसार कम्पनी को सतलुज जल विद्युत परियोजनाओं की कार्मिक नीतियों का अनुसरण करना था। तथापि, कम्पनी ने मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते पर आधारित प्रतिशतता पर विशेष परियोजना स्थल भत्ते का भुगतान किया जबकि सतलुज जल विद्युत निगम सीमित विशेष परियोजना भत्ते का भुगतान निर्धारित दरों पर कर रहा था। जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2010 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.48 करोड़ (केवल मंहगाई भत्ता भाग पर) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.16 अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

2.16.1 जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बंध में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का प्रबंधन करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों (अक्टूबर 2011) के अनुसार परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों

---

9 1447.64 घन मीटर X ₹ 4738 (हैड रेस टनल में भिन्नता दर एम0 25 एवं एम0 10) = ₹ 68,58,918 ।

10 872.238 घन मीटर X ₹ 4082 (संतोलन जलाशय में भिन्नता दर एम0 25 एवं एम0 10) = ₹ 35,60,475 ।

द्वारा आंदोलन के कारण कार्य बंद होने से परियोजना की स्थापना में विलम्ब के लिए विकासकर्ता को क्षतिपूर्ति का दावा पेश करने का हक था। इस प्रयोजन हेतु स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों को बंद किये जाने का विवरण राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाया जाना था। इस कारण हुई हानि की कटौती/समायोजन राजस्व से की जाएगी जो एक *प्रतिशत* मुफ्त बिजली से प्राप्त होगा, जो स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2017) कि प्रतिष्ठापन में 74 दिनों का विलम्ब स्थानीय जनता द्वारा आंदोलन के कारण था जिससे ₹ 14.55 करोड़ की उत्पादन हानि हुई। परियोजना की स्टेज-I 01 सितम्बर 2016 को प्रतिष्ठापित की जा चुकी है परंतु कम्पनी ने मामला राज्य स्तरीय समिति को सूचित (जून 2017) नहीं किया जिसके कारण कम्पनी परियोजना की प्रतिष्ठापन अर्थात् सितम्बर 2016 से उत्पादन हानि की वसूली नहीं कर सकी।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया (जून 2017) कि 52 दिनों का विलम्ब मई 2017 में कम्पनी के निगमित कार्यालय को सूचित कर दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य स्तरीय समिति को अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अभी तक (जून 2017) सूचित किया जाना है।

2.16.2 क्षतिपूर्ति की अवसूली

संविदा-अनुबंध की धारा 17.1 (ख) (भाग-7, खण्ड II) में अनुबंध किया गया है कि संविदाकार कार्यों के निष्पादन एवं पूर्णता के समय सभी दावों, क्षतियों, सम्पत्ति को कोई भी नुकसान, यदि संविदाकार के अभिकल्प के कारण है (यदि कोई है) के प्रति मालिक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

स्थानीय क्षेत्र विकास समिति एवं कम्पनी अभियंताओं द्वारा प्रस्तुत की गई संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पांगी गांव के 534 घरों के ढ़ांचों में क्षतियों के लिए कम्पनी ने ₹ 1.05 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना था। चूंकि संविदाकार ने कम्पनी को निर्माण के दौरान हुई ऐसी क्षतियों के प्रति क्षतिपूर्ति प्रदान करनी थी। इसलिए वसूली संविदाकार से की जानी चाहिए थी। इस प्रकार संविदा अनुबंध के अनुवधों एवं शर्तों के अनुसार गांव वालों को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली न करने से संविदाकार को सहायता प्रदान की गई।

2.16.3 गुणवत्ता नियंत्रण

किसी भी परियोजना का टिकाऊपन एवं परिचालन दक्षता उसके अभिकल्प विनिर्देशनों तथा निर्धारित स्तर के समस्त घटकों के निष्पादन पर मूलरूप से निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना क्षेत्र के अंदर कम्पनी द्वारा नियमित गुणवत्ता नियंत्रण, उपयोग में लाई गई सामग्री की जांच, सभी गुणवत्ता पक्षों का पर्यवेक्षण स्थापित करना चाहिए। तथापि, दो में से एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला सुंदरनगर में स्थित है अर्थात् परियोजना क्षेत्र से लगभग 250 किलो मीटर जहां अपेक्षित जांच प्रयोगशाला में कराने में अधिक समय लगता है।

(i) विद्युत-यांत्रिकी उपकरण के निर्माण के दौरान गैस रोधित स्विचगीयर के तल झुकाव में लगभग 160 मिलीमीटर का दबाव सिविल संविदाकार की ओर से गलती के कारण पाया गया। इससे विद्युत-यांत्रिकी संविदाकार द्वारा निर्मित सोल प्लेटों के परिशोधन पर ₹ 8.61 लाख के अतिरिक्त व्यय के अलावा 14 दिनों का संयंत्र की स्थापना में विलम्ब हुआ जिसके लिए सिविल निविदाकार से कोई भी वसूली नहीं की गई थी।

(ii) समय-समय पर जांच किये गये पीसे हुए एग्रीगेट एवं रेत के प्रतिदर्श कंकरीट कार्य के लिए प्रतिकूल पाये गये। कम्पनी ने कंकरीट के लिए प्रतिकूल पाई गई पिसाई सामग्री को प्रयुक्त न किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया था।

2.16.4 परियोजना की सुरक्षा के लिए जोखिम

(i) हेड रेस टनल में 355.832 घन मीटर ओवर ब्रेक बैक-फिल के बिना छोड़ दी गई जोकि उत्तम निर्माण प्रक्रिया के विपरीत है तथा विपरीत दबाव के कारण धमाके/धंसने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

(ii) संविदा अनुबंध की धारा 4.27 के अन्तर्गत तकनीकी विनिर्देशन में विचार किया गया है कि कंकरीट जो विनिर्देशन के अनुसार नहीं है एवं सघन नहीं है तथा कम दृढ़ घनत्व का पाया गया है जैसाकि प्रतिदर्श से निश्चित हुआ हो, को संविदाकार द्वारा अपनी लागत पर हटाया तथा बदला जाना चाहिए। कंकरीट मिक्स डिजाइन एम0 25 के ढलवा क्यूबों के 28 दिनों की जांच परिणामों से प्रदर्शित हुआ कि विभिन्न घटकों में प्रयोग किये गये ₹ 0.34 करोड़ लागत के 385.25 घन मीटर कंकरीट अपेक्षित दृढ़ता से कम के थे। जांच रिपोर्ट एक से तीन महीनों तक के विलम्ब से प्राप्त हुई थी तथा घटिया कंकरीट को बदलने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया कि संविदाकार को सात दिनों की दृढ़ता की रिपोर्ट के आधार पर कंकरीट के लिए भुगतान किया जा चुका है, तथापि, ऐसे मामलों को निपटाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण शाखा से कोई भी निर्धारित प्रक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। इससे प्रतीत होता है कि कम्पनी ने कार्य की गुणवत्ता को जोखिम में डाला। लेखापरीक्षा का मानना है कि संविदाकार को न्यून स्ट्रेंथ कंक्रीट हेतु किये गये ₹ 0.34 करोड़ का भुगतान स्वीकार्य नहीं था।

(iii) दिसम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 के दौरान संविदाकार द्वारा 578.248 घन मीटर कंकरीट (एम0-20) दबाव शाफ्ट में, कास्टिग क्यूब तथा उपयोग किये गये कंकरीट मिक्सिंग उपकरण में गुणवत्ता नियंत्रण अभियंता द्वारा इंगित की गई कुछ कमियों के बावजूद ओके कार्ड प्राप्त किये बिना डाला गया, संविदाकार को ₹ 0.40 करोड़ का भुगतान कंकरीट का मूल्य होने के नाते विधिवत रूप से किया गया। यह कार्य निष्पादन के दौरान कम्पनी के निष्प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सहित अपर्याप्त नियंत्रण को भी प्रदर्शित करता है।

(iv) भारतीय मानक 11309-1985 के अनुसार एंकर बार एवं बोल्टों पर पुल टेस्ट स्पष्ट करता है कि बेध-छिद्र का व्यास एंकर बार के व्यास से न्यूनतम दुगना होना चाहिए। भार उपयोग करने के मामले में दबाव 50 टन क्षमता के केन्द्रीय छिद्र जैक के साथ 250 किलोग्राम प्रति मिनट की एक समरूप धीमी दर सहित झटके से बचने के लिए जब तक कुल प्रसार 40 मिली मीटर से अधिक पहुंच जाए अथवा वोल्ट झुक जाए या टूट जाये जो भी पहले हो, डालना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि एंकर बार/वोल्ट डालने के लिए उपरोक्त मानकों का अनुसरण विनिर्देशनों को तैयार करते समय नहीं किया गया। 29 प्रतिवेदन प्रदर्शित करते है कि बोल्ट जांच में विफल रहे तथापि दोषपूर्ण वोल्टों को बदलने का कोई भी मामला अभिलेख में नहीं पाया गया। यह भी पाया गया कि 10 मामलों में बोल्ट विफल हुए सूचित किये जाने चाहिए थे तथापि, जांच प्रतिवेदनों में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। इस

प्रकार 1,950 (39 x 50) रॉक वोल्ट का बैच जो ₹ 0.82 करोड़[11] की लागत पर डाला गया निम्न-स्तर का रहा।

इसके अतिरिक्त 23 बोल्टों के पुल-टेस्ट के लिए एक दिन में 1,440 मिनटों के उपलब्ध समय के प्रति टेस्टिंग उपकरण के अंतरण के समय को छोड़कर 1,772 मिनटों की आवश्यकता थी। यह प्रदर्शित करता है कि पुल-टेस्ट गुणवत्ता नियंत्रण की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए जल्दबाजी की गई।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया कि पुल-टेस्ट गुणवत्ता आश्वासन एवं गुणवत्ता नियंत्रण संहिता के अनुसार आई0 एस0 11309 सहित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक दिन में 23 रॉक बोल्टों का पुल आउट टेस्ट अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता से सम्भव हो सकता है। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण पर संहिता भारतीय मानकों के अनुसार नहीं बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जहां तक संसाधनों की उपलब्धता का सम्बंध है, एक ही दल ने एक दिन में समस्त पुल आउट टेस्टों को किया है।

2.17 विद्युत-यांत्रिकी कार्यों का निष्पादन

विद्युत-यांत्रिकी कार्यों का पैकेज जिसमें आपूर्ति, परिवहन एवं जलोत्पादक उपकरण की प्रतिस्थापना एवं सम्बद्ध कार्यों का समावेश था मैसर्ज एड्रिज हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (संविदाकार) को ₹ 120.79 करोड़, 0.38 करोड़ यूरो एवं 0.27 करोड़ स्विस फ्रेंक्स की लागत पर प्रदान किया गया (मार्च 2010)। कार्य को फरवरी 2014 तक पूरा किया जाना था, तथापि वास्तविक रूप में संविदाकार द्वारा सितम्बर 2016 में पूरा किया गया। अभिलेख की छानबीन में ₹ 17.61 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान/परिहार्य अतिरिक्त व्यय के मामले इन कार्यों के निष्पादन पर पाये गये जैसाकि निम्नवत् विवेचना की गई है:

2.17.1 दोषपूर्ण धारा शामिल करने के कारण लागत वृद्धि का परिहार्य भुगतान

संविदा अनुबंध के परिशिष्ट 2(क) में निर्धारित किया गया कि संविदा का निष्पादन करने के दौरान संविदा की कीमत ± 20 *प्रतिशत* कीमत समायोजन की सीमा शर्त पर होगी। 20 *प्रतिशत* से अधिक की वृद्धि किसी भी स्टेज पर संविदाकार के खाते में जमा रखी जाएगी तथा जब भी वृद्धि का वास्तविक भुगतान पहले आपूरित संयंत्र एवं उपकरण की संचयी पूर्व कीमत से 20 *प्रतिशत* नीचे होगी तब इसे समायोजित किया जाएगा। इस धारा का उद्देश्य जमा को समायोजन द्वारा संविदा अवधि के दौरान आपूरित की गई किसी भी मद में कोई कमी आने के प्रति संविदाकार के वित्तीय लाभ की रक्षा करना था। तथापि, संविदा में स्पष्टत: मूल्य वृद्धि के इस धारा की सीमा से प्रयुक्त किए जाने वाले खरीदी गई मदों को और संविदाकार को दिए गए ~~इस धारा के दायरे में खरीदी गई मदों एवं संविदाकार को भुगतान किये गये~~ ₹ 13.65 करोड़ के ब्याज मुक्त अग्रिम छोड़ने के लिए प्रावधान नहीं था जैसा कि यू0एच0एल-III जल विद्युत परियोजना के संविदा अनुबंध में ब्याज घाटी विद्युत निगम द्वारा उपलब्ध करवाया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि उप-विक्रेता से प्राप्त हुई खरीदी गई मदों को अलग रखने के लिए उपयुक्त धारा को सम्मिलित न करने के कारण संविदाकार द्वारा ₹ 14.82 करोड़ मूल्य के मदों को

[11] 39 x 50 (50 में से एक टेस्ट किया गया) x 3.15 आर0एम0टी0 (न्यूनतम लम्बाई) x ₹ 1,340.64 (प्रदत्त दर) = ₹ 82,34,881 ।

₹ 23.72 करोड़ में (₹ 8.90 करोड़ अर्थात् 37.52 *प्रतिशत* की ऋणात्मक मूल्य भिन्नता) आपूर्ति की गई थी। इसके प्रति कम्पनी ने ₹ 1.55 करोड़ की लागत वृद्धि का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त मूल्य समायोजन सूत्र में, संविदाकार को अदा किये गये ब्याज मुक्त अग्रिम के घटक को अलग नहीं रखा गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.32 करोड़[12] का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान हुआ।

महाप्रबंधक परियोजना ने बताया कि संविदाकार को मूल्य भिन्नता पूर्व कार्यों की कीमत के 85 *प्रतिशत* पर दी जा रही है तथा संविदा कीमत के 100 *प्रतिशत* पर नहीं, इस प्रकार अग्रिम भुगतान पर कोई भी समायोजन करने की स्वीकृति नहीं दी गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदाकार ने अपनी बोली में स्पष्ट रूप से सामग्री पर 15 एवं 85 *प्रतिशत* पर निर्धारित एवं परिवर्तनशील लागत का विश्लेषण दिया है। खरीदी गई मदों के मामले में यह बताया गया कि भविष्य में बोली दस्तावेजों को तैयार करते समय इनको प्रबंधन एवं निधियन एजेंसी के अनुमोदन के पश्चात ध्यान में रखा जाएगा।

2.17.2 सहमत सूची से पहले विद्युत यांत्रिक सामग्री की आपूर्ति करना

प्रदान किये गये कार्य को पूर्ण करने की दृष्टि से विद्युत यांत्रिक कार्यों के लिए संविदाकार ने उसे उपलब्ध कराये गये सिविल कार्यों को सहमत तिथियों के आधार पर करने के लिए यूनिट-1 एवं यूनिट-2 की खरीद, विनिर्माण, कार्यस्थल तक परिवहन करने, संभालने एवं भंडारण करने के लिए सूची प्रस्तुत की थी। लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2017) कि संविदाकार ने आपूर्ति अनुसूची का पालन नहीं किया क्योंकि ₹ 51.15 करोड़ मूल्य की मदें सहमत सूची से बहुत पहले (94 एवं 491 दिनों की अवधि के मध्य) आपूरित कर दी जिसके लिए कम्पनी को अग्रिम में भुगतान जारी करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.15 करोड़ सहमत सूची से पहले जारी करने से कम्पनी को ₹ 3.48 करोड़ के ब्याज की हानि हुई यद्यपि कार्य निर्धारित पूर्णता की तिथि से बहुत विलम्ब से पूर्ण किया गया।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया कि सहमत समय अनुसूची के अनुसार (दिसम्बर 2010) संविदाकार ने संप्रेषण अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उपकरण के विनिर्माण एवं परिवहन का कार्य आरम्भ किया। तथापि, अनुबंध की वास्तविक प्रभावी तिथि के अनुसार अगस्त 2012 में कार्यक्रम के निष्पादन को अनुमोदित किया गया। यह कार्य के क्रियान्वयन/निष्पादन में दोष को सूचित करता है जिससे परियोजना की लागत पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ पड़ा।

2.17.3 दोष दायित्व अवधि का विस्तार

संविदा अनुबंध के अनुसार, 540 दिनों की दोष-दायित्व अवधि परिचालन स्वीकृति की तिथि से पूर्णता की तिथि अथवा एक वर्ष तक जो भी पहले हो उपलब्ध थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि सिविल भाग कार्य समय पर उपलब्ध न होने, साख-पत्र के विलम्ब से खुलने, सामग्री के भण्डारण हेतु स्थान उपलब्ध न होने, सड़कों के अवरोधन आदि के कारण प्रतिष्ठापन तिथियों को हासिल नहीं किया गया। संविदा की सामान्य शर्तों की उपधारा 27.2 के अनुसरण में संविदाकार ने जून 2017 तक अतिरिक्त लागत ₹ 3.36 करोड़ पर विस्तार आश्वासन के लिए प्रस्ताव किया (अक्तूबर 2015) जिसे बाद में कम्पनी के अनुमोदन (सितम्बर 2016) सहित मार्च 2018 तक ₹ 3.98 करोड़ तक संशोधित किया गया। इस प्रकार, परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण कम्पनी को दोष दायित्व अवधि के विस्तार पर ₹ 3.98 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

---

[12] ₹ 13.65 करोड़ (संविदाकार को अग्रिम) x 85 *प्रतिशत* (भिन्नता मूल्य) x 20 *प्रतिशत* मूल्य वृद्धि = ₹ 2.32 करोड़।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया कि संविदाकार की लागत पर अभिकल्प, अभियान्त्रिकी, सामग्री एवं मजदूरी के कारण दोष को पूरा करने के लिए आश्वासन (वारंटी) का विस्तार आवश्यक था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को सिविल कार्यों में विलम्ब के कारण इस अतिरिक्त लागत को वहन करना पड़ा।

2.17.4 प्रवेश कर पर दण्ड का परिहार्य दायित्त्व

संविदा की विशेष शर्त की धारा 14 में प्रदत्त है कि संविदा लागत में सभी कर, शुल्क एवं अन्य उद्ग्रहण सम्मिलित है तथा उन्हें वास्तविक आधार पर नियोक्ता द्वारा प्रतिपूरित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2010 के अनुसार राज्य के बाहर से लाई गई सामग्री पर प्रवेश कर संविदाकार द्वारा जमा करवाया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि संविदाकार ने कम्पनी के टिन का उपयोग करके राज्य के बाहर से कुछ माल लाया तथा प्रवेश कर जमा नहीं करवाया। आबकारी एवं कराधान विभाग से मांग प्राप्त होने पर कम्पनी ने मार्च एवं अप्रैल 2014 के दौरान ₹ 5.06 करोड़ राशि का प्रवेश शुल्क जमा कराया। कर समय पर जमा न कराने के कारण आबकारी एवं कराधान विभाग ने जनवरी 2015 में ब्याज एवं शास्ति की ₹ 3.78 करोड़ की राशि रोपित की जिसके प्रति कम्पनी ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त के समक्ष अपील दायर की थी (जनवरी 2015) तथा उसका निर्णय अभी तक (जून 2017) प्रतिक्षित था।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिविल कार्यों के निष्पादन हेतु संविदाकार ने ₹ 35.14 करोड़ लागत की 6,144.527 मीट्रिक टन स्टील का प्रयोग पेनस्टॉक के सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण के लिए किया जिस पर संविदाकार द्वारा प्रवेश कर का दावा नहीं किया गया। इस प्रकार ₹ 1.41 करोड़ राशि के प्रवेश कर पर बाद में शास्ति की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया कि यदि निर्णय कम्पनी के खिलाफ घोषित होता है तो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति संविदाकार से वसूली जाएगी जिसने गलत तरीके अपनाये तथा प्रथमतया प्रवेश कर जमा नहीं कराया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह सुनिश्चित करना कम्पनी का दायित्त्व था कि करों का भुगतान संविदाकार द्वारा कर दिया गया था।

2.17.5 सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान

सड़क द्वारा माल का परिवहन सेवा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिसम्बर 2004 तथा जनवरी 2005 में अधिसूचना के अन्तर्गत आवृत था। माल परिवहन एजेंसी सेवा के विशेष स्वरूप के दृष्टिगत भारत सरकार ने मार्च 2008 में संशोधन करके प्रावधान किया कि सेवा कर माल भाड़े के 25 *प्रतिशत* पर भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि उपरोक्त आदेशों के प्रावधानों के अनुसार 25 *प्रतिशत* के बजाए ₹ 4.66 करोड़ के परिवहन प्रभारों की पूरी लागत पर सेवा कर का भुगतान कम्पनी ने किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.46 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

उत्तर में (जून 2017) यह बताया गया कि कम्पनी द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना के बारे तथा परिवहन सेवाओं के 25 *प्रतिशत* मूल्य को लागू किये जाने के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय को कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये गये थे। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि संविदाकार ने अपनी बोली

में विशेषरूप से फुटनोट दिया है जिसमें 25 *प्रतिशत* मूल्य पर सेवा कर के उद्ग्रहण की गणना की गई है।

2.17.6 दस्तावेजी प्रमाण के बिना सेवा कर का भुगतान

मुख्य संविदाकार ने उपकरण के परिवहन एवं स्थापित करने के कार्य को आगे उप-संविदाकार को प्रदान कर दिया। उप-संविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये गये डाटा से यह पाया गया कि उप-संविदाकार ने कार्य के परिवहन एवं स्थापना पर सेवा कर जमा कराया था जिसके प्रति कम्पनी ने ₹ 1.55 करोड़ की सीमा तक के सेवा कर की प्रतिपूर्ति मुख्य संविदाकार को, जमा का अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त किये बिना कर दी। समस्त संविदा मूल्य हेतु उप-संविदाकार द्वारा भुगतान किये गये वास्तविक सेवा कर को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कुल प्रतिपूर्ति संदेहास्पद रही क्योंकि कम्पनी के अभिलेख में सेवाकर के भुगतान के प्रति कोई भी दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

उत्तर में (जून 2017) यह बताया गया कि कम्पनी की विद्युत संविदा कक्ष एवं निगमित वित्त शाखा के दृष्टिकोण को लेने के पश्चात मामले में कार्रवाई की जाएगी।

2.17.7 संविदाकार से अवसूली

संविदा अनुबंध की धारा 13 में निर्धारित किया गया है कि साख-पत्र का मूल्य प्रत्येक तिमाही के लिए भुगतान अनुसूची के अनुसार होगा तथा परिपूर्ण सीमा तक सम्बद्ध तिमाही हेतु साख-पत्र को उपयोग करने की संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। साख-पत्र के अप्रयुक्त भाग तथा अवधि जिसके लिए यह अप्रयुक्त रहा, के लिए प्रभारों को संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने दिसम्बर 2016 तक साख-पत्र की अप्रयुक्त मात्रा पर संविदाकार का शेयर होने के नाते ₹ 0.49 करोड़ के साख-पत्र प्रभारों की वसूली नहीं की थी।

उत्तर में यह बताया गया कि साख-पत्र प्रभारों को वसूल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

2.18 संयंत्र को क्षति के कारण उत्पादन हानि

इकाई संख्या-III की प्रतिष्ठापन जांच के दौरान 30.06.2016 को जब मशीन शुरू की गई तो स्टेटर एवं रोटर क्षतिग्रस्त हो गये। जांच करने पर रोटर पोल छोर के कनेक्शन पर एक बाह्य कण पाया गया। मशीन को क्षति की वास्तविक वजह जानने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तकनीकी कमेटी का गठन किया गया (अगस्त 2016)। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंगित किया कि 45 मिनट तक मशीन का लगातार परिचालन किया जाना मशीन को क्षति पहुंचने का कारण था जबकि पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा प्राप्ति जो ₹ 35.42 करोड़ की लागत पर प्रतिष्ठापित किया गया था लेकिन इसकी उपेक्षा की गई थी के द्वारा जमीनी त्रुटि का पता चल चुका था। यह मानक अभियांत्रिकी प्रक्रिया के विरूद्ध था।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि यूनिट-III को हुई क्षति का कारण असावधानी/चूक थी जो उत्पादन यूनिट के निर्माण, भरने एवं प्रतिष्ठापित करने के दौरान अपनाये गये विभिन्न सुरक्षा उपायों का अनुसरण करने में हुई। इस प्रकार, कम्पनी की ओर से असावधानी के परिणामस्वरूप 39.77 मिलियन यूनिट[13] लागत

[13] 238.62 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष/ 12 महीने x 2 महीने = 39.77 मिलियन यूनिट।

मूल्य पर अभिकल्प क्षमता/विलम्ब अवधि के अनुसार ₹ 11.61 करोड़[14] की उत्पादन हानि हुई। आगे पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा प्राप्ति की उपेक्षा से स्वयं सिस्टम की उपयोगिता पर प्रश्न खड़ा होता है तथा इससे कम्पनी की अगंम्भीरता इंगित हुई।

उत्तर में यह बताया गया कि चूंकि यूनिट संख्या-III जांच के अन्तर्गत था, न कि वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत था इसलिए कम्पनी को कोई उत्पादन हानि नहीं हुई। कम्पनी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि असावधानी के कारण वाणिज्यिक प्रचालन में दो महीनों का विलम्ब होने के परिणामस्वरूप कम्पनी को राजस्व की हानि हुई।

2.19 न्यायसंगत आधार पर दर का संशोधन न करना

संविदा की सामान्य शर्तों के भाग-7 की धारा 39.2.4 में निर्धारित है कि यदि किसी परिवर्तन की दरें न्यायसंगत नहीं है तो उसके लिए दोनो दल परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए विशेष दरों पर सहमति करेंगे। फेज़ I की मद संख्या 1.7 के आपूर्ति भाग में दो सेट 11 के0वी0 जनरेटर सर्कट ब्रेकर तथा एक सेट 3 (तीसरे) यूनिट के लिए एवं अनिवार्य स्पेयर पार्ट शामिल थे जो संविदा के अनुसार 5,45,409 यूरो की कुल लागत पर आयात किये जाने थे। बस डक्ट गैलरी के आकार में परिवर्तन के कारण मैसर्ज पावर गीयर लिमिटेड बंगलौर से पूर्ण क्यूबिकल जुड़े हुए पुर्जों सहित बस डक्ट गैलरी के कम परिमाप में ए0बी0बी0 के जनरेटर सर्कट ब्रेकरों में फिट करने के लिए संविदाकार का संशोधित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। जैसाकि सामग्री को अभिकल्प में परिवर्तन के पश्चात भारत के अंदर प्राप्त किया जाना था, कम्पनी ने संविदाकार को व्यय में हुई बचत के कारण हुए वित्तीय लाभ को कम्पनी को अंतरण करने को कहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदाकार ने मैसर्ज पावर गीयर लिमिटेड, बंगलौर से ₹ 3.20 करोड़ में खरीदने के पश्चात सामग्री को ₹ 4.49 करोड़ की कीमत पर आपूरित किया। तथापि संविदाकार ने परिमाण बिल दरों पर बातचीत के दौरान (अक्तूबर 2013) में केवल एक *प्रतिशत* की छूट देने की बात मान ली थी। संविदाकार का लाभ 20 *प्रतिशत* एवं अतिरिक्त प्रभारों को स्वीकृत करने के पश्चात भी संविदाकार को इस कारण किया गया अतिरिक्त भुगतान ₹ 0.65 करोड़ आंका गया जिसमें से केवल ₹ 3.76 लाख (एक *प्रतिशत*) कम्पनी को अंतरित किया गया। यह इस बात का सूचक था कि कम्पनी ने दरों पर अल्प रूप से बातचीत की तथा परिवर्तन के लिए दरों में संशोधन न्यायसंगत आधार पर नहीं किया।

2.20 स्टेज-II व III

योजना

अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य प्रदान करना

एकीकृत स्कीम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से स्टेज-I और स्टेज-II व III के लिए कार्यों को फरवरी 2009 तथा सितम्बर 2010 में क्रमश: 45 एवं 48 महीनों में पूर्ण करने की अवधि सहित प्रदान किया गया। विद्युत-यांत्रिकी उपकरण हेतु कार्य मार्च 2010 में पहले इकाई की प्रतिष्ठापन की लक्षित तिथि जनवरी 2014 सहित प्रदान किया गया। पहली इकाई प्रतिस्थापना वास्तव में सितम्बर 2016 में की गई।

[14] 39.77 मिलियन यूनिट* ₹ 2.92 प्रति यूनिट।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि स्टेज-II एवं III के लिए कार्य स्थानीय पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदन प्राप्त किये बिना प्रदान किया गया (सितम्बर 2010)। भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदन वास्तविक रूप में जून 2011 में दिया गया तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2013 में वास्तविक रूप से कब्जा सौंपा गया जिसके लिए कम्पनी ने मार्च 2017 तक ₹ 15.81 करोड़ जमा करवाये थे। इसके अतिरिक्त स्टेज-II एवं III हेतु विद्युत यांत्रिकी उपकरण के निर्माण पर ₹ 146.72 करोड़ का व्यय करने के पश्चात कार्य को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार स्थानीय पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र न प्राप्त करने के आधार पर रोक लगाने के कारण बंद किया गया है तथा संविदाकार अंतर्ग्राही संरचना से सम्बंधित कार्य को आरम्भ करने में समर्थ नहीं था।

इस प्रकार अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य प्रदान करने के परिणामस्वरूप कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ जिसके लिए स्टेज-II एवं III के विद्युत-यांत्रिकी उपकरण के निर्माण हेतु ₹ 146.72 करोड़ उपयोग की गई निधियां अवरूद्ध रही। इसके अतिरिक्त स्टेज-I के अन्तर्गत तीन ईकाइयों को चलाने के लिए ₹ 255.67 करोड़ की लागत से निर्मित जल संचालन प्रणाली को भी इसकी अभिकल्पित क्षमता तक उपयोग में नहीं लाया जा सका।

2.21 सिविल कार्यों को प्रदान करना एवं निष्पादन करना

स्टेज-II एवं III हेतु सिविल कार्य जिनमें इनटेक, हेड रेस टनल एवं संतुलन जलाशय के कार्यों का समावेश था मैसर्ज पटेल इंजिनियरिंग लिमिटेड (संचालक) को ₹ 252.39 करोड़ के लिए नवम्बर 2014 तक पूर्णता की अनुसूची सहित प्रदान किये गये (6 सितम्बर 2010)। संविदा अनुबंध एवं अभिलेखों की छानबीन से विभिन्न कार्यों के निष्पादन से सम्बंधित ₹ 9.32 करोड़ के ब्याज हानि, अतिरिक्त/परिहार्य व्यय के मामले उद्घाटित हुए इसके अतिरिक्त ₹ 62.94 करोड़ मूल्य की मात्रा के अपर्याप्त प्रावधान भी पाये गये जैसाकि आगामी परिच्छेदों में विवेचना की गई है:-

2.21.1 ब्याज हानि

कम्पनी ने परियोजना के तीन[15] मुख्य घटकों के निष्पादन हेतु संविदाकार को ब्याज मुक्त अग्रिम की ₹ 6.30 करोड़ की पहली किस्त जारी की (नवम्बर 2010)। इस अग्रिम की वसूली के लिए कम्पनी ने समयबद्ध वसूली योजना बनाने के बजाय इसके वित्तीय हितों की उपेक्षा की तथा वसूली को कार्य की प्रगति से सम्बद्ध कर दिया (संविदा राशि की 30 *प्रतिशत* भुगतान के बाद)।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2017) कि अग्रिम की पहली किस्त की वसूली धीमी प्रगति (4.92 *प्रतिशत*) के कारण अक्तूबर 2012 तक आरम्भ नहीं की जा सकी फिर भी (₹ 3.15 करोड़) अग्रिम की दूसरी किस्त कम्पनी द्वारा जारी कर दी गई थी (अक्तूबर 2012)। जैसाकि संविदाकार द्वारा संतुलन जलाशय-III का कार्य अक्तूबर 2014 से अक्तूबर 2015 के दौरान स्थगित रखने से न्यूनतम वित्तीय प्रगति की अप्राप्ति के कारण, अग्रिम की वसूली लेखापरीक्षा की तिथि (मई 2017) तक नहीं की

[15] केरंग-काशंग सम्पर्क सुरंग का ऊपरी प्रवाह कार्य: ₹ 93.38 करोड़, ख) केरंग-काशंग सम्पर्क सुंरग का नीचे प्रवाह कार्य- ₹ 78.24 करोड़, ग) संतोलन जलाश्य-III –₹ 80.77 करोड़।

जा सकी। इस प्रकार, दूसरी किस्त को जारी करने के अविवेकी निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़[16] की ब्याज हानि हुई।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया (जून 2017) कि संविदा के प्रावधान कम्पनी को एक पक्षीय रूप से संविदा के प्रावधानों का विचलन करके अग्रिम की वसूली करने की शक्ति प्रदान नहीं करते और संविदाकार को वसूली आरम्भ करने के लिए सम्बद्ध संविदा प्रावधानों का संशोधन करने के लिए अपनी सहमति देने के लिए कहा गया है (जनवरी 2017)।

2.21.2 बिल मात्राओं में अपर्याप्त प्रावधान के कारण अतिरिक्त भुगतान

ग्राउटिंग, कंक्रीटिंग एवं शाटक्रीटिंग एकल मद के लिए केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों पर आधारित स्टेज-II एवं III के निष्पादन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था। तथापि, बोली आमंत्रण हेतु तैयार किये गये लागत आकलन में सम्मिश्रण की मद जो अन्यथा इन मदों का अभिन्न अंग था उसे पृथक मद दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, सम्मिश्रण की मात्रा की वास्तविक आधार/मानदण्डों के अनुसार गणना नहीं की गई थी। प्रमात्रा बिल के अनुसार 1,13,845 घन मीटर कंकरीट, 4,060 मीट्रिक टन सीमेंट ग्राउटिंग एवं 1,03,200 घन मीटर शाटक्रीट के निष्पादन के लिए वास्तविक आवश्यकता 10.04 लाख किलोग्राम के प्रति 5,990 किलोग्राम सम्मिश्रण हेतु प्रावधान रखा गया है। यहां पर यह कहना उपयुक्त है कि नवम्बर 2016 तक 21 *प्रतिशत* की समग्र वित्तीय प्रगति के प्रति 67,737.435 किलोग्राम का उपयोग किया गया। उपरोक्त मदों से सम्मिश्रण को अलग-अलग करने पर इसे केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों तथा अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से विपरीत पाया गया। इसके अतिरिक्त, निविदा हेतु बहुत कम मात्रा का आकलन करने के कारण संविदाकार ने ₹ 52/- प्रति किलोग्राम आकलित लागत के प्रति अत्यधिक ₹ 550/- की दर बताई। तथापि कार्य के निष्पादन के दौरान इससे परियोजना की लागत पर ₹ 54.92 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा क्योंकि सम्मिश्रण की मात्रा में विशाल रूप से वृद्धि होना परिबद्ध है। कम्पनी ने इस विचलन के लिए पहले ही ₹ 3.62 करोड़ का भुगतान नवम्बर 2016 तक कर दिया था।

2.21.3 इसी प्रकार भूमिगत संतुलन जलाशय के निर्माण हेतु स्टील प्रबलन के लिए प्रावधान केवल 70 मीट्रिक टन पर रखा गया। संविदाकार ने चार *प्रतिशत* छूट सहित ₹ 65,000 प्रति मीट्रिक टन की दर बताई।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि निष्पादन के दौरान (कार्य अभी पूरा नहीं हुआ) स्टील की वास्तव में मात्रा 976.684 मीट्रिक टन (1,295 *प्रतिशत* का विचलन) तक बढ़ गई जिसमें ₹ 8.02 करोड़ की अतिरिक्त लागत शामिल थी। कम्पनी ने प्रदान की गई ₹ 65,000 प्रति मीट्रिक टन की दरों की तुलना में ₹ 90,204 प्रति मीट्रिक टन की विश्लेषित दरों के आधार पर विचलित मात्रा के लिए भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.47 करोड़ (मई 2017 तक) का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इस प्रकार, मात्रा के बिल के गलत आकलन के कारण कम्पनी को उच्चतर प्रभारों का भुगतान करना पड़ा।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्टील एवं सम्मिश्रण हेतु दरों के विश्लेषण में सामग्री लागत से आबकारी शुल्क घटक को अलग नहीं किया गया था तथा सेवा कर केवल मजदूरी घटक के बजाए मूल लागत पर उद्ग्रहित किया गया था। परियोजना भत्ता, टनल भत्ता एवं जनजातीय क्षेत्र के लिए उच्चतर प्रभार भी केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के विपरीत संचालन एवं रखरखाव प्रभारों के एक

[16] ₹ 6.31 करोड़* 10 *प्रतिशत* *900 दिन/365 दिन + ₹ 3.15 करोड़ * 10 *प्रतिशत* * 1653 दिन/365 दिन।

मुश्त प्रावधान पर जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, स्टील प्रबलन के मामले में सामग्री की लागत एवं खुली कार्यशाला में परिनियोजित मजदूरी पर टनल भत्तों के अस्वीकार्य घटक का भार डाला गया जिसके परिणामस्वरूप स्टील प्रबलन एवं सम्मिश्रण की दरों का क्रमश: ₹ 14,750.25 प्रति मीट्रिक टन एवं ₹ 73.95 प्रति किलोग्राम की उच्चतर दरों का निर्धारण हुआ। फलत:, संविदाकार को ₹ 1.80 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। यहां पर यह कहना भी प्रासंगिक है कि सम्मिश्रण के गलत विश्लेषण के परिणामस्वरूप समस्त प्रदान की गई कंक्रीट एवं ग्राउटिंग की मात्रा के निष्पादन करने में ₹ 7.38 करोड़ का कुल अतिरिक्त भुगतान होगा।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया (जून 2017) कि आबकारी शुल्क को अलग करने/वसूल करने जैसा भी मामला होगा के सम्बंध में कार्रवाई की जाएगी। तथापि, सेवा कर के घटक पर 5.80 *प्रतिशत* की दर पर विचार किया गया है तथा हाइड्रो, जन जातीय एवं टनल भत्ता को हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रभारित किया गया है। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि दरों की गणना केवल मजदूरी घटक के बजाए मूल लागत पर 15 *प्रतिशत* सेवा कर प्रभारित करके की गई थी तथा अन्य प्रभार केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उद्ग्रहित किये गये थे। इसके अतिरिक्त, उत्तर ने बी0ओ0क्यू0 के गलत अनुमान के आयामों को आवृत नहीं किया।

2.22 शुल्क छूट प्राप्त न करने के कारण अतिरिक्त भुगतान

भारत सरकार द्वारा अगस्त 1995 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी एशियन विकास बैंक निधियन परियोजनाओं को आबकारी एवं सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। बोली दस्तावेज तैयार करने के लिए भी एशियन विकास बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि संविदा के अन्तर्गत कार्यों की बोली तैयार करते समय बोलीदाता सभी शुल्क, कर को ध्यान में रखेगा।

संविदाकार को प्रदान किये गये सिविल निर्माण कार्यों से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रदर्शित हुआ कि कम्पनी ने संविदाकार को परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र इस बहाने से जारी नहीं किया था कि बोलीदाता (सेक्शन-I) को अनुदेशों के अनुसार संविदाकार द्वारा भुगतान योग्य सभी शुल्क, कर एवं अन्य उद्ग्रहण प्रदान की गई दरों में शामिल थे। यह इस तथ्य का सूचक था कि कम्पनी ने बोलियों का मूल्यांकन करते समय संविदाकर द्वारा शुल्क सहित दर्शाई दरों पर विचार किया था। जैसे कि एशियन विकास बैंक निधियन परियोजना को शुल्क से छूट दी गई थी इसलिए शुल्क शामिल करके दरें प्रदान करने के कारण कम्पनी इस छूट का लाभ उठाने में विफल रही तथा स्टील, सीमेंट एवं सम्मिश्रणों पर ₹ 11.20 करोड़ की सीमा तक कर छूट के लाभ उठाने से स्वयं वंचित रही।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया (जून 2017) कि जनहित सेवा का विशेष प्रयोजन जो भारत सरकार की अधिसूचना में निर्धारित था बोली की अवस्था में पूरा हुआ प्रतीत होता है तथा ऐसी छूट का लाभ परियोजना को स्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अपने आप प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शुल्क की छूट प्राप्त करने के लिए कम्पनी से संविदाकार को परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित था जो इस मामले में जारी नहीं किया गया था।

2.23 अन्य रूचिकर प्रसंग

2.23.1 मानक दिशानिर्देशों से विचलन

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं प्रोग्राम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2005 में जारी किये गये घरेलू बोली लगाने हेतु मानक संविदा की धारा-10 (मूल्यवृद्धि) में निर्धारित किया गया है कि 24 महीनों तक की सभी अल्प अवधि संविदाओं को निर्धारित मूल्य आधार पर प्रदान किया जाएगा तथा किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि की कोई भी शर्त नहीं होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि कम्पनी ने परियोजना हेतु सड़कों एवं भवनों के निर्माण के लिए निविदायें जारी करते समय उपरोक्त दिशा-निर्देशों पर विचार नहीं किया तथा छः एवं 14 महीनों के मध्यावधि की पूर्णता सहित अल्प अवधि संविदाओं पर ₹ 0.31 करोड़ के मूल्यवृद्धि का भुगतान किया। दिशानिर्देशों से विचलन के परिणामस्वरूप परियोजना लागत पर परिणामी अतिरिक्त व्यय बोझ सहित ₹ 0.31 करोड़ के लागत मूल्यवृद्धि का परिहार्य भुगतान हुआ।

2.23.2 समेकित लागत से कम विद्युत की बिक्री

कम्पनी के संघ के ज्ञापन एवं अनुच्छेद के अनुसार, इसकी परियोजनाओं से ऊर्जा के उत्पादन को हिमाचल प्रदेश सरकार एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के मध्य शेयर किया जाना था। विद्युत की बिक्री के लिए व्यवस्था की मजबूती के लिए बैठक आयोजित की गई (फरवरी 2012), बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने उच्चतर स्तरीय शुल्क के कारण इसके 40 *प्रतिशत* शेयर को खरीदने के लिए अनिच्छा प्रकट की तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित शुल्क पर रॉयल्टी केवल 12 *प्रतिशत* सरकारी शेयर को खरीदने की सहमति दी। इसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी विद्युत को अन्य पावर वितरण कम्पनियों (डिस्काम) को दीर्घ अवधि पावर खरीद अनुबंध के द्वारा बेचने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत में अन्य डिस्काम के साथ मामला उठाने के बावजूद कोई भी खरीददार दीर्घ अवधि पावर खरीद अनुबंध पर आधारित विद्युत की खरीद करने के लिए आगे नहीं आया। इसके अतिरिक्त, पावर खरीद अनुबंध को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण कम्पनी सम्बद्ध नियामक के पास टैरिफ याचिका दायर नहीं कर सकी। अंत में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित समेकित उत्पादन लागत ₹ 4.78 प्रति यूनिट (कम्पनी द्वारा लगाये गये सलाहकार द्वारा परिकल्पित) के स्थान पर ₹ 2.92 प्रति यूनिट (मई 2017 से ₹ 2.20 प्रति यूनिट तक संशोधित) के पूर्व-निर्धारित दर पर कम्पनी से विद्युत खरीदने के लिए सहमत हो गया।

इस प्रकार उत्पादन लागत से कम पावर बेचने के परिणामस्वरूप ₹ 1.36[17] करोड़ के सम्भाव्य उत्पादन[18] के कारण हानि सहित सितम्बर 2016 से सितम्बर 2017 तक की अवधि के दौरान 190.55 मिलियन यूनिटों की बिक्री पर ₹ 45.91 करोड़ की कुल राजस्व हानि हुई।

---

17 संभाव्य उत्पादन = 46,68,900 यूनिट* ₹ 2.92 *प्रति यूनिट* ।

18 संभाव्य उत्पादन नदी परियोजनाओं को चलाने के लिए एक प्रकार की क्षतिपूर्ति है जब विद्युत परियोजना विद्युत उत्पादन के लिए तैयार होती है लेकिन उत्पादन नहीं होता तथा क्रेता से मांग न होने के कारण जल का फैलाव हो जाता है।

2.23.3 प्रमाणित उत्सर्जन घटाव के विक्रय में विफलता के कारण हानि

एशियन विकास बैंक की न्यासधारिता के अन्तर्गत यू0एस0डी0 5,945,000 मूल्य से प्रति प्रमाणित उत्सर्जन घटाव के विक्रय के लिए कम्पनी तथा फ्यूचर कार्बन फण्ड के मध्य एक प्रमाणित उत्सर्जन घटाव खरीद अनुबंध (सिरपा) पर हस्ताक्षर किये गये (मई 2010) जिसे 01 अप्रैल 2015 से 01 अप्रैल 2021 तक समर्पित किया जाना था। प्रमाणित उत्सर्जन घटाव खरीद अनुबंध के अनुसार भुगतान का जारी किया जाना कुछ पूर्ववर्ती शर्तों एवं मीलपत्थरों की शर्तों को पूरा किये जाने की शर्तों पर था। प्रमाणित उत्सर्जन घटाव खरीद अनुबंध (सिरपा) की *धारा 3.4 (सनसैट तिथि)* में अनुबंधित है कि यदि अनुबंध में निर्धारित कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है अथवा सिरपा के तिथि से 12 महीनों के अंदर न्यासी द्वारा हटा नहीं दी जाती तो इस अनुबंध को परियोजना इकाई को लिखित सूचना द्वारा न्यासी रद्द कर सकता है। कम्पनी से यह अपेक्षित था कि जलाशयों पर विश्व आयोग के अनुबंध एवं शर्तों पर न्यासी से मान्यता प्राप्त करवा ली जाती जैसाकि पूर्ववर्ती शर्तों में से यह एक थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने जलाशयों (पूर्ववर्ती शर्त 3.1.4) पर विश्व आयोग को परियोजना की अनुपालना के सम्बंध में कार्यवाही मान्यक की नियुक्ति द्वारा (मेसर्ज़ टी0यू0वी0 रीनलैंड) जून 2012 के दौरान 13 महीनों के विलम्ब के पश्चात् आरम्भ की। मान्यक ने अपना प्रतिवेदन 31 मई 2013 में प्रस्तुत किया। तथापि, फ्यूचर कार्बन फंड ने लिप्पा गांव से सम्बन्धित पर्यावरण मामले को शामिल न किये जाने के कारण मान्यता प्रतिवेदन को रद्द कर दिया (सितम्बर 2013) जो राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के पास तथा एशियन विकास बैंक को प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों सहित सामंजस्य प्रतिवेदन के साथ लम्बित था।

मीलपत्थरों (लक्ष्यों) के प्राप्त होने एवं अनुवर्ती शर्तों को पूरा करने पर कम्पनी ने प्रमाणित उत्सर्जन घटाव की वास्तविक सुपुर्दगी से पहले अथवा परियोजना की प्रतिस्थापन से पहले मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सभा के पास जमा की गई ₹ 0.58 करोड़ की पंजीकरण फीस की प्रतिपूर्ति सहित ₹ 31.50 करोड़[19] को भी प्राप्त किया होता। तथापि, सिरपा के रद्द होने के कारण उपरोक्त मील पत्थर (लक्ष्यों) की पूर्ति के बावजूद भी उनकी वसूली नहीं की जा सकी।

यद्यपि सिरपा के रद्द होने से मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढ़ांचा सभी के साथ पंजीकरण पर तथा इसकी मान्यता पर प्रभाव नहीं पड़ता फिर भी सिरपा के अनुसार प्राप्त की गई प्रतिभूति समाप्त हो जाती है। सिरपा के साथ अनुबंध के रद्द होने (सितम्बर 2013) के पश्चात प्रमाणित उत्सर्जन घटाव हेतु बाजार में गिरावट आ गई (अगस्त 2013 से अप्रैल 2017 के दौरान प्रमाणित उत्सर्जन घटाव का औसतन मूल्य 0.24 लाख यूएसडी एवं 0.72 यूएसडी के मध्य रहा)। इस प्रकार कम्पनी निर्धारित प्रति 7.25 यूएसडी प्रमाणित उत्सर्जन घटाव की दर पर प्रमाणित उत्सर्जन घटावों को बेचने में समर्थ नहीं हो सकी यद्यपि इसने इसे अन्य खरीददारों को बेचने को प्रयास भी किये।

निष्कर्ष

काशंग जल विद्युत परियोजना से सम्बंधित कार्य ₹ 708.16 करोड़ की लागत पर फरवरी 2009 एवं अक्तूबर 2010 के मध्य नवम्बर 2014 तक की पूर्णता अनुसूची के साथ प्रदान किये गये थे। लंदन इण्टर बैंक द्वारा प्रस्तावित दर से 0.20 *प्रतिशत* अधिक ब्याज दर पर एशियन विकास बैंक से संस्वीकृत

[19] (यूएसडी 5,945,000 x ₹ 52.99 *प्रति* डालर, संयुक्त ढ़ांचा सभा मौसम परिवर्तन के पास जमा की गई फीस हेतु तिथि पर लागू मुद्रा रूपांतरण दर।

₹ 708.16 करोड़ ऋण के प्रति भारत सरकार ने मार्च 2017 तक राज्य सरकार के जरिए 90 *प्रतिशत* अनुदान तथा 10 *प्रतिशत* ऋण के रूप में राशि को राज्य सरकार द्वारा (हिमाचल प्रदेश सरकार) नौ *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज की दर पर ₹ 554.44 करोड़ की निधियों का अंतरण किया। राज्य सरकार ने अनुदान में अपवर्तन किया तथा अनुदान की राशि को 10 *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज दर पर ऋण के रूप में मान लिया। मार्च 2017 तक ₹ 1,169.75 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी परियोजना अभी तक अपूर्ण है और तीन ईकाइयों में से केवल एक को वाणिज्यिक रूप से परिचालित किया जा सका। परियोजना की स्टेज-I ₹ 478.02 करोड़ के डी.पी.आर. लागत के प्रति ₹ 789.84 करोड़ में पूर्ण की गई जिससे ₹ 311.82 करोड़ की लागत वृद्धि के लिए उच्च दरों पर निर्माण कार्य हेतु भुगतान संविदाकार से अवसूली/अल्प वसूली तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रमात्रा के अल्प प्रावधान जिम्मेदार है तथा 30 महीने की देरी के लिए बाधा रहित कार्यस्थल की उपलब्धता, स्थानीय लोगों द्वारा आन्दोलन, परियोजना मार्गों का अवरोधन, संविदाकार की त्रुटियों के कारण अधिक रिक्त को भरने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय तथा प्रतिष्ठापन से पूर्व संयंत्र को नुकसान जिम्मेदार है।

अत: स्टेज-I की पूर्णता तक प्रति यूनिट उत्पादन लागत ₹ 2.20 प्रति यूनिट के प्रचलित बिक्री[20] दर के प्रति ₹ 2.85 से ₹ 4.78 प्रति यूनिट तक बढ़ गई थी। परियोजना की स्टेज-II एवं स्टेज-III अब जनवरी 2021 में पूर्ण की जानी निर्धारित की गई है तथा पूर्णता पर उत्पादन लागत में और वृद्धि होने की सम्भावना है।

सिफारिशें

कम्पनी यह सुनिश्चित करने पर विचार करें:

- आगामी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लागत आकलन तथा वास्तविक आधार पर अभिकल्प तैयार करने;
- सभी अनिवार्य अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रदान करने;
- संविदाकार को अतिरिक्त/परिहार्य भुगतान से बचने के लिए प्रभावकारी तंत्र तैयार करने;
- शास्ति से बचने के लिए संविदाकार द्वारा करों के भुगतान के सम्बंध में अनुबंध में उपयुक्त धारा सम्मिलित करने; तथा
- अतिरिक्त समय एवं लागत वृद्धि से बचने के लिए स्टेज-II एवं III के कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने।

राज्य सरकार विचार करे:

- भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को परियोजना लागत में वृद्धि से बचने के लिए शीघ्र सीधे कम्पनी को अंतरण करने पर।

[20] दर जिसपर 1 अप्रैल 2017 से हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित को ऊर्जा का विक्रय किया जा रहा है।